UPMO010065542026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) JO Code No-UP1895

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1862/2026

नदीम आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र मोमीन, निवासी–मिलक, कुडे वाली मिलक, देवापुर, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–273/2026,
धारा–190, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 333, 118(1) बी0एन0एस0 व 4/25 आयुध अधिनियम,
थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद।

17.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त नदीम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–273/2026, धारा–190, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 333, 118(1) बी0एन0एस0 व धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी निम्न एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा गुलाम मोहम्मद द्वारा तहरीर सम्बन्धित थाने में दिनांक 30.05.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 29.05.2026 को मो0नं0 76206XXXXX से उसके भतीजे रेहान के मो0नं0–75055XXXXX पर समय करीब 06:00 बजे शाम फोन आया कि, अपने भैय्या सुहेल से कह देना कि, आज हम लोग उसे जान से मार देंगे, वह बहुत नेता बनता है। जब हम लोग लड़कियों से मजे लेते हैं, तो कहता है कि, यह सब हमारे मौहल्ले में नहीं चलेगा, यदि तुम लोग नहीं माने, तो मैं पुलिस को बता दूंगा। यह बात रेहान ने घर आकर प्रार्थी के बेटे सुहेल को बतायी, लेकिन उसने कोई ज्यादा ध्यान

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.17 16:17:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं दिया। इसी बीच इतने में ही शाम करीब सवा सात बजे 9 लोग दो मोटर साईकिलों पर सवार होकर व पैदल आ गये, जिनके मुंह पर ढांटा बंधे हुए थे। प्रार्थी के घर के दरवाजे पर आकर मां–बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए घर में घुसकर बोले कि, आज साले सुहेल को जान से मार दो। इतना कहते हुए शहजाद पुत्र इदरीश, निवासी मिलक शम्भू वाली, जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी, नदीम, जिसके हाथ में छुरी थी, फैजान, जिसके हाथ में छुरी थी, आसिम, जिसके हाथ में नाजायज तमंचा था, जीशान पुत्र बुनियाद व अहमद रजा पुत्र इकरार, जिनके हाथ में सरिये की रॉडें थीं, दो व्यक्ति नाम–पता अज्ञात सूरत शिनाख्त, कादिर पुत्र शफी, जिसके हाथ में चाकू था, में से कादिर ने वादी मुकदमा के बेटे को जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया, जो उसकी नाक पर लगा, जिससे उसकी नाक पर गम्भीर चोट आयी। नदीम ने छुरी से वार किया, जो उसके कंधे पर लगा। जब प्रार्थी के पुत्र को बचाने प्रार्थी का भाई अकरम आया, तो फैजान ने उसे भी जान से मारने की नीयत से उस पर छुरी से वार किया, जो उसके सीने पर लगा, बाकी सभी लोगों ने लात–घूंसों व सरिया से वार कर चोटें पहुंचाईं। मारपीट में इनके ढांटे खुल गये थे। प्रार्थी का भाई व बेटा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। मुल्जिमान उन लोगों कों मरा जानकर भागने लगे। घरवालों की चीख–पुकार पर मौहल्ले वालों ने अभियुक्तगण कादिर पुत्र शफी, नदीम, फैजान पुत्रगण मोमीन को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया तथा इनकी एक मोटर साईकिल नम्बर–UP21CM5159 भी घटनास्थल पर ही पकड़ ली। मौहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने प्रार्थी के पुत्र व भाई की गम्भीर हालत होने पर उन्हें सरकारी अस्पताल, मुरादाबाद मेडिकल के लिये भेज दिया। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण शहजाद, नदीम, फैजान, आसिम, जीशान, अहमद रजा, कादिर के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा–190, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 333, 118(1) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे असत्य तथ्यों के आधार पर रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, उक्त वाद की घटना दिनांक 29–05–2026 की समय 19:15 बजे की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30–05–2026 को समय 22:24 बजे विलम्ब से दर्ज हुई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, प्रार्थी द्वारा किसी को कोई चोट नहीं पहुँचायी गयी है और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है, दिनांक 29.05.2026 को दिन में बच्चों के खेलने पर बच्चों में आपस में विवाद हो गया था तथा शाम लगभग 07:00 बजे वादी मुकदमा गुलाम व उसके पुत्र प्रार्थी के घर पर आये और आते ही प्रार्थी व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट

करने लगे, जिससे उसके परिवार वालों व कदीर के ही चोटें आयी हैं। प्रार्थी के पिता द्वारा एक तहरीर दिनांक 30–05–2026 को थाने पर दी गयी थी, किंतु मुकदमा नहीं लिखा और प्रार्थी को ही घर से उठाकर उक्त केस में उसका झूठा चालान कर दिया, प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, प्रार्थी दिनांक 31–05–2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्व है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि, अभियुक्त ने अपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर, उसके भाई व पुत्र को जान से मारने की नीयत से उन्हें लोहे की रॉड, छुरी, चाकू आदि से मारपीट कर चोटें पहुंचायी हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रश्नगत घटना दिनांक 29.05.2026 की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 30.05.2026 को दर्ज करायी गयी है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार दिनांक 29.05.2026 को वादी के भतीजे रेहान के मोबाइल नम्बर पर समय करीब 06:00 बजे शाम फोन आया कि, अपने भैय्या सुहेल से कह देना कि, आज हम लोग उसे जान से मार देंगे, वह बहुत नेता बनता है। यह बात रेहान ने घर आकर सुहेल को बतायी, लेकिन उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच शाम करीब सवा सात बजे 9 लोग, जिनके मुंह पर ढांटा बंधे हुए थे, दो मोटर साईकिलों पर सवार होकर व पैदल आये और मां–बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए वादी के घर में घुसकर बोले कि, आज साले सुहेल को जान से मार दो। इतना कहते हुए शहजाद, जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी, नदीम, जिसके हाथ में छुरी थी, फैजान, जिसके हाथ में छुरी थी, आसिम, जिसके हाथ में नाजायज तमंचा था, जीशान व अहमद रजा, जिनके हाथ में सरिये की रॉडे थीं, दो व्यक्ति नाम–पता अज्ञात सूरत शिनाख्त व कादिर, जिसके हाथ में चाकू था, में से कादिर ने वादी मुकदमा के बेटे को जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया, जो उसकी नाक पर लगा, जिससे उसकी नाक पर गम्भीर चोट आयी। नदीम ने छुरी से वार किया, जो उसके कंधे पर लगा। जब वादी के पुत्र को बचाने उसका भाई अकरम आया, तो फैजान ने उसे भी जान से मारने की नीयत से उस पर छुरी से वार किया, जो उसके सीने पर लगा, बाकी सभी लोगों ने लात–घूंसों व सरिया से वार कर चोटें पहुंचाईं। वादी का भाई व बेटा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर

पड़े। मुल्जिमान उन लोगों कों मरा जानकर भागने लगे, तब मौहल्ले वालों ने अभियुक्तगण कादिर, नदीम व फैजान को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया तथा इनकी एक मोटर साईकिल भी घटनास्थल पर ही पकड़ ली। पत्रावली मे संलग्न मजरूब अकरम की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर नीलगू निशान व कटे हुए घाव की 02 चोटें आना दर्शित हैं, जिन्हें डॉक्टर ने निगरानी में रखते हुए एक्स–रे कराए जाने की सलाह दी थी। मजरूब की एक्सरे रिपोर्ट में एन0ए0डी0 आना अंकित है तथा पूरक आख्या के अनुसार मजरूब की उपरोक्त चोटें साधारण प्रकृति की हैं। मजरूब सुहेल की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कटे हुए घाव व नीलगू निशान की 02 चोटें आना दर्शित हैं, जिनमें से चोट नं0–2 को डॉक्टर ने निगरानी में रखते हुए एक्स–रे कराए जाने की सलाह दी थी। मजरूब की एक्सरे रिपोर्ट में एन0ए0डी0 आना अंकित है तथा पूरक आख्या के अनुसार मजरूब की उपरोक्त चोटें साधारण प्रकृति की हैं। जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त से एक अवैध छुरी बरामद होने का प्रश्न है, उक्त बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारगार मे निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त नदीम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–273/2026, धारा–190, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 333, 118(1) बी0एन0एस0 व धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मुबलिग 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)–प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)–प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)–प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986

सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
17.06.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।